

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/07/2023-2024

20 अप्रैल, 2023

सेवा में,

श्री रामप्रीत सिंह
ग्राम-टोनाटांड, पोस्ट- इटखोरी
जिला- चतरा
झारखण्ड-825408

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 11.04.2023 का पत्र जोकि इस सचिवालय मे 18.04.2023 को प्राप्त हुआ जिसके साथ आपने दस रुपये का पो.ऑ. सं. 60एफ 319897 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत झारखण्ड सरकार से कृषि के लिए जमीन दिलवाने हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है इस कारण या सचिवालय आपको किसी भी प्रकार कि जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है। आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

उपरोक्त के आलोक में, यह सूचित किया जाता है कि आरटीआई आवेदन के माध्यम से जमीन/अनुदान मांगने से संबन्धित आवेदन करना आरटीआई अधिनियम, 2005 के दायरे में नहीं आता है।

(राजेश कुमार शर्मा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

rticell-vps@nic.in

सेवा में

श्रीमान

उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति महादय नई दिल्ली,
साथ - दण्डवत् प्रणाम
6, मौलाना आजाद रोड

110011

महाशय

मैं रामप्रीत सिंह पिता स्वः मधावीर सिंह
ग्राम- टोनाटांड, पो० नखंड इटरोवरी जिला- चतरा का मैं
स्थायी निवासी हूँ,

विषय- मेरा हूँ कि विशेष भारत से मारखंड से विभिन्न
जिला- राज्य मारखंड के अन्तर्गत में विन्न- विन्न शहर आँट
अपना गाँव में मेरा लग- भग 105 एकड़ जमीन सरकार से
डीमार् केशन आँट जैसा भी सरकार का जमीन है,
मुझे देनाककष्ट किया जाए,
ताकी मैं अपना विभिन्न समस्याओं का समाधान करूँगे

जैसे आवास बनाकर बड़ा-छोटा दोनों दुकान कटके
विजिनस जिका का मरन पोषन करवगा, सः आर्थिक परिवार का
सरकार मेरा मुख्यवान समय को नष्ट किया हूँ, मेकेंसी में
फार्म उपलाई में कधी स्थायी तक नही दिया हूँ, नौकरी
आतः नही

श्रीमाननिय उपराष्ट्रपति से प्रेरना दण्डवत् प्रार्थना हूँ कि,
जिस स्थान में जितना जमीन माग आवेदन देगे यादिया हूँ,
वधा से निः शुल्क सेवा में सर्वे का पूर्ण का गणित खतयानी
परचा, नकसा रसीद मेरा हंड में देने का 90 दिनों अधिकतम
2023 वर्ष के अन्तर्गत मुख्यवान बनायेगे, रखिद का मुख्य देगे सरकार के
अपना गाँव के जमीन में अन्न आँट फल का खेती करवगा,
तथा तिथि- 31.1.2023 के सूचना अधिकार आँट के साथ
आवेदन स्पीड पोस्ट में जा था इसका जबाब तक अप्राप्त हूँ,
मुझे इसमें अपना कार्यालय से जबाब दिया जाए जैसा
सब मुझे जमीन संबंधी मामला सार्थक हो कृप्या हेतु,

तिथि-

11.4.2023.

मा० 7482026437

इसमें दो प्रतिलिपि पत्र
दिया हूँ, एक आपस
दूसरा पोस्ट आँट,

आपका विश्वासी मैं

रामप्रीत सिंह

ग्राम- टोनाटांड

पो० इटरोवरी, जिला- चतरा

(मारखंड)

18/04/23

84

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/07/2023-2024

20 अप्रैल, 2023

सेवा में,

श्री रामप्रीत सिंह
ग्राम-टोनाटांड, पोस्ट- इटखोरी
जिला- चतरा
झारखण्ड-825408

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 11.04.2023 का पत्र जोकि इस सचिवालय मे 18.04.2023 को प्राप्त हुआ। जिसके साथ आपने दस रुपये का पो.ऑ. सं. 60एफ़ 319897 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत झारखण्ड सरकार से कृषि के लिए जमीन दिलवाने हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है इस कारण या सचिवालय आपको किसी भी प्रकार कि जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है। आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

उपरोक्त के आलोक में, यह सूचित किया जाता है कि आरटीआई आवेदन के माध्यम से जमीन/अनुदान मांगने से संबन्धित आवेदन करना आरटीआई अधिनियम, 2005 के दायरे में नहीं आता है।

(राजेश कुमार शर्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
rticell-vps@nic.in

